

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 165]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 15 मार्च 2018—फाल्गुन 24, शक 1939

चिकित्सा शिक्षा विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक एफ. 2-25-1-55-2018

भोपाल, दिनांक 15 मार्च 2018

मध्य प्रदेश शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 03 जून 1988 में प्रकाशित मध्य प्रदेश चिकित्सा शिक्षा (राजपत्रित सेवा भर्ती 1987) की अनुसूची 01 से 03 में निम्नानुसार संशोधन करता है:-

अनुसूची- 01, 02 एवं 03 - में चिकित्सोत्तर पदों में सरल क्रमांक 01 एवं 02 पर अपर संचालक एवं संयुक्त संचालक के पदों को जोड़ा जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एन. एस. परमार, अपर सचिव.

अनुसूची - एक
(देखिए नियम 5)
चिकित्सोत्तर पद

अनु. क्रमांक	सेवा में सम्मिलित पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान (1.1.86से)
1	2	3	4	5
1	अपर संचालक	01	चिकित्सोत्तर पद	37400-67000+8700 GP
2	संयुक्त संचालक	01	चिकित्सोत्तर पद	15600-39100+7600 GP

अनुसूची - दो
(नियम 6 देखियें)

अनु. क.	पद का नाम	सेवा का नाम	कर्त्तव्य पदों की कुल संख्या	कर्त्तव्य पदों की संख्या का प्रतिशत		अन्य सेवाओं के संवर्ग से प्रतिनियुक्ति द्वारा
				सीधी भर्ती	पदोन्नति	
1	2	3	4	5	6	7
1	अपर संचालक	चिकित्सोत्तर पद	01	100 %	—	राज्य प्रशासनिक अथवा अन्य सेवा से प्रतिनियुक्ति द्वारा
2	संयुक्त संचालक	चिकित्सोत्तर पद	01	100 %	—	राज्य प्रशासनिक अथवा अन्य सेवा से प्रतिनियुक्ति द्वारा

अनुसूची - तीन
(नियम 8 देखिये)

अनु. क.	पद का नाम	कर्त्तव्य पदों की संख्या	न्यूनतम आयु सीमा	अधिकतम आयु सीमा	प्रशासनिक, प्रबंधकीय एवं पर्यवेक्षण कार्यानुभव
1	2	3	4	5	6
1	अपर संचालक	01	35 वर्ष	50 वर्ष	किसी भी शासकीय विभाग में प्रशासनिक, प्रबंधकीय एवं पर्यवेक्षण के कार्यों में 10 वर्ष का कार्यानुभव
2	संयुक्त संचालक	01	35 वर्ष	45 वर्ष	किसी भी शासकीय विभाग में प्रशासनिक, प्रबंधकीय एवं पर्यवेक्षण के कार्यों में 08 वर्ष का कार्यानुभव